

**16 फरवरी से 20 फरवरी 2020 तक दुबई, यू.ए.ई**  
**में गल्फूड 2020 में भारत पविल्यन के डिजाइन और निर्माण के लिए**  
**बोलियां प्रस्तुत करने का विवरण**  
**CPPP Portal Tender Id: 2019\_APEDA\_472592\_1**

**1. आवश्यकताएं:**

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण "एपीडा" गल्फूड, 2020 कार्यक्रम में भाग ले रहा है और भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए अपना पविल्यन स्थापित करेगा। गल्फूड 2020 को दुबई, यू.ए.ई में 16 फरवरी से 20 फरवरी 2020 के दौरान आयोजित किया गया है (इसके बाद "इवेंट/आयोजन" के रूप में जाना जाता है)।

इवेंट के लिए एपीडा पविल्यन का कुल क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है। जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय पविल्यन में 348 वर्गमीटर क्षेत्र और अनाज हॉल में 420 वर्गमीटर क्षेत्र है (दोनों पविल्यन का लेआउट संलग्न है)।

**2. बोलियों की प्रस्तुति हेतु पात्रता:**

- i) एजेंसियों को पंजीकृत व्यावसायिक इकाई / सेवा प्रदाता होना चाहिए। पंजीकरण क्रमांक, टैन / प्रत्यक्ष कर / आयकर / व्यापार कर / वैट / जी.एस.टी आदि के रूप में लागू तकनीकी बोली प्रारूप में उद्धृत किया जा सकता है और प्रमाण पत्र/प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर हो न कि समूह/संबंधित संगठन के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।
- ii) भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में पविल्यन की स्थापना के लिए आद्योपांत आधार पर परियोजनाओं को अवधारणा, डिजाइन और निष्पादित करने में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।
- iii) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजन से संबंधित इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस के कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 के दौरान न्यूनतम रु 5,00,00,000 / - (केवल पांच करोड़ रुपये) का टर्नओवर हो।
- iv) बोली प्रस्तुत करने के लिए 2,00,000/- रु (केवल दो लाख रुपये) ई.एम.डी डीडी के रूप में "एपीडा" नई दिल्ली के पक्ष में देय प्रस्तुत करना होगा जिसके बिना बोली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- v) एक स्व-प्रमाणित घोषणा प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और यह आज की तारीख तक लागू नहीं है।

### 3. कार्य का क्षेत्र:

प्रस्तावित एपीडा पविल्यन सहित सामान्य क्षेत्र, सैम्पलिंग और प्रतिभागियों के क्षेत्र को पूरी लकड़ी की सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया जाएगा। ईवेंट के लिए कार्य के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे:

#### थीम/सामान्य क्षेत्र (प्रदर्शक स्टालों को छोड़कर):

- एपीडा के लिए थीम क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय हॉल में 348 वर्ग मीटर में से लगभग 36 वर्ग मीटर में (दो ब्लॉक -30 मीटर x 7 मीटर क्षेत्र प्रत्येक) ब्रांडिंग और प्रचार के लिए हैं। क्षेत्र को लकड़ी के फर्श पर स्थापित किया जाए।
- ग्लास, एक्रिलिक या लाइक्रा सामग्री पर बैकलिट कोलाज की पृष्ठभूमि के साथ एक रिसेप्शन/स्वागत कक्ष हो।
- एपीडा के लिए एक बैठक लाउंज जो ग्लास /एक्रिलिक या समकक्ष सामग्री द्वारा कवर किया जाए।
- चाय / कॉफी, पीने के पानी, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर के लिए प्रावधान के साथ पेंट्री सहित एक भंडारण क्षेत्र हो।
- कॉमन एरिया में कम से कम 6"X3" फुट आकार के दस बैक लाइट वाले ग्राफिक्स पैनल प्रदान किए जाएं।
- पविल्यन / स्टॉल के निर्माण की आगे की स्थिति के लिए, स्टाल की ऊंचाई आदि आप [www.gulfood.com](http://www.gulfood.com) का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं।
- पविल्यन पूरी तरह से पर्याप्त सफेद रोशनी के साथ उज्ज्वल रूप से प्रकाशित किया जाएगा जिससे पूरे पविल्यन में अंधेरे न हो।
- रेडी-टू-ईट फूड / करी, ताजे और फ्रोजन फल और सब्जियां एवं उनसे निर्मित उत्पाद, चटनी, अचार, खीरा, वाइन, बासमती चावल आदि प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद हैं।

#### I (क) ब्रांडिंग

- लटकन – आयोजकों के दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 x 4 फुट के 4 नोज़ जो डबल साइडेड बैकलिट ग्राफिक्स के साथ अधिकतम अनुमेय ऊंचाई से हॉल की छत से इंडिया पविल्यन की उचित दृश्यता के लिए दूर स्थान से भारत की

भागीदारी प्रदर्शित करता हो।

- एपीडा पविल्यन का समग्र रूप समकालीन होना चाहिए और जो आधुनिक भारत के रंग और जीवंतता को दर्शाता है। **भारत** शब्द की एक उपयुक्त बैकलिट ब्रांडिंग की जाए और जो हर जगह द्रष्टव्य हो।
- जेनरिक ब्रांडिंग स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स पर होनी चाहिए ताकि अंतिम गैटअप में सिलवटें न आएँ। सामान्य ब्रांडिंग बैनर में उज्ज्वल - सफेद लाइटिंग होनी चाहिए।

### I (ख) वेट सैंपलिंग क्षेत्र

- अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 9 वर्ग मीटर क्षेत्र और अनाज हॉल के कॉमन एरिया में 9 वर्ग मीटर का उपयोग बासमती चावल बिरयानी और अन्य खाद्य उत्पादों के गीले सैंपलों के लिए किया जाएगा और इसमें प्रदर्शन काउंटर, अलमारियाँ, माइक्रोवेव ओवन आदि होंगे।

### II प्रदर्शक स्टॉल:

1. सभी प्रत्येक स्टॉल लकड़ी के ढांचे में हो और आयोजकों के दिशा-निर्देशों के अनुसार, क्षेत्र के चारों ओर भारत ब्रांडिंग आयोजकों द्वारा अनुमेय अधिकतम ऊंचाई तक हो और प्रदर्शन में आधुनिक समकालीन रूप दिया जाए।
2. फर्नीचर की आवश्यकता के साथ निर्यातकों के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और क्रेता/आगंतुकों के साथ बातचीत करने के लिए दो हॉल में स्थित एपीडा पविल्यन में 9 वर्ग मीटर की लगभग 50 स्टॉल और 12 वर्गमीटर क्षेत्र की 20 स्टॉल का निर्माण किया जाए। हालांकि ये सांकेतिक आंकड़े हैं, लेआउट की योजना इस तरह से हो सकती है कि अधिकतम 9 वर्ग मीटर के स्टाल हो और स्टाल और उपलब्ध जगह का बेहतर उपयोग किया जाए। 9/12 वर्ग मीटर के प्रत्येक व्यक्तिगत स्टाल में बैक लिटेड इंडिविजुअल फेशिया, चार चेयर, एक टेबल, एक वेस्ट पेपर बास्केट, 6 डिस्प्ले शेल्फ, स्टोरेज के साथ एक लॉकेबल काउंटर और 100 वाट की 6 लाइट्स दी जाएंगी।
3. दरवाज़े के साथ लगभग 1 मीटर x 1.5 मीटर की प्रत्येक स्टॉल में लॉक लिए जाने योग्य स्टोरेज का प्रावधान हो। स्टोरेज को कॉमन पार्टीशन की दीवार वाले दो स्टॉल/बैक टू बैक/ समीपवर्ती स्टॉल से जगह लेकर बनाया जाए।

4. प्रत्येक 9 वर्ग मीटर के आकार की स्टॉल में 3 x 6 वर्ग फुट के कम से कम 3 पैनल पोस्टर लगाने के लिए और कई में अनेक पोस्टर लगाने का प्रावधान उपलब्ध किया जाए। पोस्टरों/पैनलों को प्रतिभागियों द्वारा अपनी लागत पर व्यवस्थित किया जाएगा। यदि निर्यातक पोस्टरों की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है तो पोस्टरों की छपाई के लिए एजेंसी द्वारा शुल्क लिए जाने हेतु प्रस्तावित दर उपलब्ध की जाए। एपीडा पविलियन के सामान्य क्षेत्र के पोस्टर/पैनल को एपीडा द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार विकसित किया और लगाया जाएगा।

### III अन्य गतिविधियां:

क) शो के दौरान सभी दिनों के लिए भारतीय वेशभूषा में चार परिचारकों सह दुभाषियों और दो पुरुष परिचारकों का प्रावधान किया जाएगा।

ख) भीगे बासमती चावल की सैम्पलिंग का कार्य करने के लिए एक भारतीय रेस्तरां को बिरयानी तैयार करने और परोसने का कार्य दिया जाएगा। इस रेस्तरां को दो प्रकार की बिरयानी - शाकाहारी और मांसाहारी बिरयानी को तैयार करने को कहा जा सकता है। इस रेस्तरां को ये बिरयानी अपनी क्रॉकरी में प्रदर्शनी स्थल में परोसनी होगी। साथ ही दो परिचारकों द्वारा आवश्यक सामग्री जैसे डिस्पोज़ल प्लेट्स, नैपकिन और चम्मच आदि की आपूर्ति की जाए। एपीडा द्वारा बिरयानी बनाने के लिए प्रतिदिन 40 कि.ग्रा चावल (20 कि.ग्रा शाकाहारी बिरयानी और 20 कि.ग्रा मांसाहारी बिरयानी के लिए) उपलब्ध किया जाएगा। हालांकि, बिरयानी को तैयार करने और परोसने आदि का शुल्क बिड्स में शामिल है।

ग) वेंडर द्वारा प्रतिदिन वी.आई.पी मेहमानों के लिए 5 फूलों के गुलदस्तों की व्यवस्था की जाए और एपीडा द्वारा निर्देशित करने पर रिफ्रेशमेंट्स उपलब्ध की जाए।

घ) एपीडा द्वारा अनुमोदन पर गणमान्य व्यक्तियों के लिए स्मृति चिन्हों (लगभग 20 और प्रत्येक लगभग 2500/- रुपए तक के स्मृति चिन्ह) की व्यवस्था की जाए।

ड) एजेंसी सैम्पल / प्रचार सामग्री के प्रेषण का निरीक्षण करेगी और इस संबंध में उपयुक्त विक्रेता या उस इवेंट के अधिकृत विक्रेता की पहचान करेगी, जिसके लिए उनके इनवॉयस के अनुसार सीधे उक्त विक्रेता को भुगतान किया जाएगा।

- च) DVD प्लेयर और पेन ड्राइव के साथ 60 इंच के एक एल.सी.डी/एल.ई.डी टी.वी का प्रावधान किया जाए।
- छ) एक कॉफी/चाय डिस्पेंसिंग मशीन और डिस्पोजेबल ग्लासों के साथ पीने का पानी उपलब्ध किया जाए। (एजेंसी द्वारा चाय / कॉफी वेंडिंग मशीन / पानी के डिस्पेंसर के लिए एक स्थानीय कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए। चाय / कॉफी / पानी निकालने की मशीन की रिफिलिंग करने का दायित्व एजेंसी का होगा।
- ज) पूरे इवेंट की हाई रेज़ोल्यूशन की स्टिल फोटोग्राफी की जाए और मैट फिनिश की 5 x7 आकार की कम से कम 150 फोटो के दो फोटो एल्बम प्रस्तुत किए जाएं।
- झ) एजेंसी को एपीडा की ओर से अनुमानित बिजली भार और पुस्तक का आकलन करना है। समान और बिजली की खपत के लिए शुल्क का भुगतान सहायक दस्तावेजों को जमा करने पर वास्तविक रूप से किया जाएगा।
- ञ) प्रत्येक दिन की शुरुआत से पहले रखरखाव, उचित और नियमित सफाई के साथ भूनिर्माण और दोनों हॉल में एपीडा पविल्यन की अग्नि सुरक्षा का दायित्व पूरा किया जाए।

#### 4. सामान्य:

- चयनित एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि अंत तक पविल्यन के निर्माण और रखरखाव एवं इवेंट के समन्वय के लिए साइट पर उपयुक्त श्रमशक्ति मौजूद हो। चयनित एजेंसी इवेंट के अंत तक आयोजकों के सभी लागू बिलों का निपटान करेगी।
- शो आयोजकों की अनुशंसा के अनुसार बिजली की आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन, पानी की आपूर्ति और अन्य सहायता प्रणाली आदि उपलब्ध किया जाए। तदनुसार पूर्वोक्त प्रावधानों को चयनित एजेंसी द्वारा जांचा जाना आवश्यक है।

मेले के उद्घाटन के पहले दिन और उसके बाद कचरे के निपटान के बाद दरों में एकत्रीकरण, निराकरण और परिवहन, रखरखाव, सफाई शामिल होगी। यदि स्थल के अधिकारी द्वारा खराब व्यवस्था/स्वच्छता के कारण एपीडा पर कोई जुर्माना/पैनल्टी

लगाई जाती है तो इसका भुगतान एजेंसी को करना होगा।

## 5. नियम एवं शर्तें:

5.1 अनुमोदित एजेंसी एपीडा के निर्देशों और मार्गदर्शन के अंतर्गत काम करेगी। यह एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों को कानूनी ढांचे के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

5.2 बोली मूल्य सभी लागू करों सहित केवल भारतीय रुपए में उद्धृत किए जाएं।

5.3 इच्छुक पात्र एजेंसियां संलग्नक- I और II के अनुसार नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में 2,00,000/- (केवल दो लाख रुपए) की बयाना राशि (ई.एम.डी) सहित सहायक दस्तावेजों के साथ बिड्स प्रस्तुत की जाएगी। विक्रेता के चयन के बाद असफल एजेंसी को ई.एम.डी वापस कर दी जाएगी। चयनित एजेंसी के लिए ई.एम.डी राशि को अंतिम भुगतान में समायोजित किया जाएगा।

5.4 यह एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा रखी गई श्रमशक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करे।

5.5 एजेंसी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिड दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। बिड की मान्यता बिड प्रस्तुत करने के अंतिम दिन से 30 दिनों तक के लिए होगी।

5.6 एपीडा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस अनुबंध के अंतर्गत एजेंसियों द्वारा समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम स्तर का पालन किया जाए और वे किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त हो। एजेंसी को एपीडा को निविदा दस्तावेज तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

5.7 अनुशंसित एजेंसी के भ्रष्ट या धोखाधड़ी मामलों से जुड़े होने पर एपीडा द्वारा कार्य करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5.8 आवेदक/एजेंसी के भ्रष्ट या धोखाधड़ी मामलों से जुड़े होने या अनुबंध को निष्पादित

करने की स्थिति में एपीडा द्वारा अनुबंध प्रदान करने के लिए किसी भी समय अनिश्चित काल के लिए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए आवेदक / एजेंसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5.9 एजेंसी किसी भी दावे, नुकसान, मुकदमे, देयता के विरुद्ध एपीडा को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

5.10 एजेंसी एपीडा द्वारा अनुमोदित रंग के अनुसार पविल्यन के अंदर नया कालीन उपलब्ध करेगी।

5.11 एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे दीवार पैनल, लकड़ी सामग्री, फर्नीचर, प्रदर्शन सहायक सामग्री आदि अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरों को प्रस्तुतिकरण के समय दिखाया और प्रस्तुत किया जाएगा।

5.12 एक स्व-प्रमाणित घोषणा यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की जाए कि उन्हें कभी भी किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और यह वर्तमान में लागू नहीं है।

5.13 संबंधित एग्जिबिटर द्वारा टी.पी / डिजाइन के अनुसार व्यवस्था की जाए। पैनल और एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पोस्टरों की समरूपता बनाए रखने के लिए उनकी लम्बाई-चौड़ाई को समान रखा जाएगा।

5.14 वेंडर द्वारा अंतिम भुगतान से पूर्व एपीडा में एपीडा की भागीदारी की रिपोर्ट के साथ एपीडा के लिए तैयार किए गए पैनल, पविल्यन के अंतिम डिजाइन की सॉफ्ट कॉपी (सी.डी.आर प्रारूप में) को प्रस्तुत करना होगा। इसे एपीडा की सम्पत्ति माना जाएगा।

5.15 एपीडा के अधिकार:

- पविल्यन और ग्रेफिक्स के डिजाइन के कॉपीराइट का अधिकार है।
- डिजाइन योजना में लघु परिवर्तन कर सकता है।
- अपनी समझ से आवेदक/बिड्स की प्रस्तुति के लिए समय सीमा बढ़ा सकता है।
- अनुबंध / आदेश देने से पहले किसी भी समय बिना कोई कारण दिए और एपीडा पर कोई दायित्व दिए बिना किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

- एपीडा के मत में सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन होने पर किसी भी समय अनुबंध को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर परियोजना को लंबित किया जा सकता है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा पूर्वोक्त कार्रवाई से उत्पन्न किसी भी क्षति या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- यदि एपीडा के मत में सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो एपीडा द्वारा बोली की प्रक्रिया के पश्चात सफल एजेंसी को मिले नियम एवं शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, अध्यक्ष एपीडा का निर्णय दोनों पक्षों अर्थात् एजेंसी और एपीडा के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

## 6. तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों की प्रस्तुति हेतु दिश-निर्देश:

6.1 सील की गई तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों को अलग-अलग लिफाफे में इवेंट के नाम के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अर्थात् संयुक्त अरब अमीरात स्थित दुबई में 16 से 20 फरवरी, 2020 के दौरान आयोजित होने वाले गल्फूड 2020 के लिए बोलियों को 24 सितंबर, 2020 को शाम 4:00 बजे तक प्रस्तुत किया जाए। एजेंसियां कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियों की अनुमति के आवेदन की नहीं हैं और इसे तुरंत ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। पूर्व बोली बैठक नई दिल्ली स्थित एपीडा में 12 सितंबर, 2019 को 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

6.2 कवर 1: तकनीकी बोली: निम्नलिखित दस्तावेज़ों को शामिल करने के लिए इवेंट का नाम और “तकनीकी बिड” सब्सक्राइब करें:

(संलग्नक- I)

एजेंसी का नाम एवं पता	
एजेंसी का नाम एवं पता	
मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और पदनाम	
संबंधित व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण	
कुल वेतन भुगतान पर कर्मचारियों की संख्या सहित एजेंसी की प्रोफाइल	
ट्रैक रिकॉर्ड - इसी प्रकार की प्रकृति के कार्य को संभालने का	

<p>पिछला अनुभव (कृपया यहां उल्लेख करें) कंपनी के पास पिछले दो वर्षों के कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में इवेंट प्रबंधन के तौर पर 5 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव हो।</p>	
<p>पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए आवेदक एजेंसी के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला सी.ए प्रमाण-पत्र। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर हो न कि समूह/संबंधित संगठन के नाम पर।</p>	
<p>पिछले 5 वर्षों की नवीनतम आयकर विवरणी की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि और पैन कार्ड, जी टी और.एस.संबंधित कर दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर हो न कि समूहसंबंधित/ संगठन के नाम पर। अन्य शब्दों में सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान हो। एपीडा, नई दिल्ली के पक्ष में ड्रॉफ्ट/अविकल्पी और शर्त रहित बैंक गारंटी के रूप में 2,00,000/- (केवल दो लाख रुपए) की बयाना राशि "ई.एम.डी" प्रस्तुत की जाए। विक्रेता के चयन के बाद असफल एजेंसी को ई.एम.डी वापस कर दी जाएगी। चयनित एजेंसी के लिए ई.एम.डी राशि को अंतिम भुगतान में समायोजित किया जाएगा।</p>	

6.3 जैसा कि ऊपर बताया गया है लेआउट, सजावट योजना आदि के साथ पविल्यन की अवधारणा/डिजाइन को हार्ड कॉपी के साथ-साथ CD में प्रस्तुत किया जाए। एजेंसी द्वारा एपीडा पविल्यन की 3D मेजिज़/प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत किया जाए जिसमें एपीडा पविल्यन को विभिन्न कोणों से पूर्ण प्रक्षेपण को स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। इसमें 9 वर्ग मीटर के मानक बूथ का पूर्ण 3D लुक भी हो, जिसमें सहायक उपकरण और फर्नीचर का पूर्ण प्रदर्शन किया गया हो। 3D प्रज़ेंटेशन में ग्राफिक्स आदि भी विस्तार से हो।

#### 6.4 कवर 2: वित्तीय बोली: इवेंट का नाम "वित्तीय बोली" (संलग्नक II) सब्सक्राइब करें

6.4.1 निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरण को शामिल करने के लिए:

6.4.2 **वित्तीय कोटेशन** को केवल भारतीय रुपए में अलग से प्रमुख घटकों के ब्रेक-अप के साथ विधिवत हस्ताक्षरित, सील और दिनांकित किया जाए। कोई एकमुश्त राशि नहीं मानी जाएगी।

क्र.सं.	गतिविधि	निम्नलिखित क्र.सं. 1 और 2 पर गतिविधियों के लिए प्रति वर्ग मीटर की दर	कुल रुपए
1	3 (I) में उल्लिखित विवरणों को सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत योजना के अनुसार थीम/कॉमन एरिया का निर्माण और फर्निशिंग		
2	3 (I)(क) में उल्लिखित ब्रांडिंग के अतिरिक्त उपरोक्त 3 (I) में उल्लिखित विवरणों को सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत योजना के अनुसार थीम/कॉमन एरिया का निर्माण और फर्निशिंग		
3	उपरोक्त 3 (III) के अनुसार बासमती चावल की बिरयानी की वेट (भीगी) सैम्पलिंग		
4	उपरोक्त 3 (III) के उल्लिखित बासमती चावल बिरयानी की सैम्पलिंग के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां		
5	लागू कर		
	कुल		

## 7. चयन प्रक्रिया

7.1 एपीडा में एक समिति एजेंसियों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देने के लिए शॉर्टलिस्ट एजेंसियों की आवश्यकता होगी।

7.2 प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित क्षेत्रों पर अपने सुझाव दे सकते हैं:

क्र.सं.	क्षेत्र	स्कोर / वेटेज
1.	समग्र अवधारणा और डिजाइन	30
2.	फोटो, ग्राफिक्स, आकर्षक रंग योजना आदि के संयुक्त	20

	उपयोग से खाद्य उत्पादों के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में विषय क्षेत्र का महत्वपूर्ण चित्रण।							
3.	एपीडा को आवंटित फर्श क्षेत्र के अनुसार संरचना का उपयुक्त आयाम और स्थल का सर्वोत्तम उपयोग।	10						
4.	कंपनी का टर्नओवर: अंको का ब्रेकअप नीचे दिया गया है:	5						
	<table border="1"> <tr> <td>5 करोड़ रुपए तक</td> <td>2 अंक</td> </tr> <tr> <td>5 - 10 करोड़ रुपए से अधिक</td> <td>3 अंक</td> </tr> <tr> <td>10 करोड़ रुपए से अधिक</td> <td>5 अंक</td> </tr> </table>	5 करोड़ रुपए तक	2 अंक	5 - 10 करोड़ रुपए से अधिक	3 अंक	10 करोड़ रुपए से अधिक	5 अंक	
5 करोड़ रुपए तक	2 अंक							
5 - 10 करोड़ रुपए से अधिक	3 अंक							
10 करोड़ रुपए से अधिक	5 अंक							
	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान प्रकृति का पिछला कार्य। अंको का ब्रेकअप नीचे दिया गया है:	5						
	<table border="1"> <tr> <td>5 वर्षों तक</td> <td>2 अंक</td> </tr> <tr> <td>5 - 10 वर्षों से अधिक</td> <td>3 अंक</td> </tr> <tr> <td>10 वर्षों से अधिक</td> <td>5 अंक</td> </tr> </table>	5 वर्षों तक	2 अंक	5 - 10 वर्षों से अधिक	3 अंक	10 वर्षों से अधिक	5 अंक	
5 वर्षों तक	2 अंक							
5 - 10 वर्षों से अधिक	3 अंक							
10 वर्षों से अधिक	5 अंक							

## 8. वित्तीय बोलियों का आरंभ:

8.1 अंकन सभी प्रस्तुतियों पर किया जाएगा। जो वेंडर तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) सुरक्षित करते हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी। वित्तीय बोली में अधिकतम 30 अंक होंगे। अंकन की गणना के लिए निम्न विधि होगी:

$L1 = 30$  अंक

$L2 = 30 \times L1$  (L1 द्वारा उद्धृत मूल्य) / L2 (L2 द्वारा उद्धृत लागत) और L3, L4 आदि के लिए इसी तरह से (पार्टियों की संख्या पर निर्भर करता है)।

8.2 वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के बाद तकनीकी और वित्तीय अंक जोड़े जाएंगे और उच्चतम कुल अंकों की स्कोरिंग करने वाली एजेंसी चयनित किया जाएगा।

8.3 चयन समिति के पास अनुबंध / आदेश देने से पहले किसी भी समय, किसी भी कारण को बताए बिना और एपीडा पर किसी भी देयता के दायित्व के बिना घोषणा को वापस लेने, स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। एपीडा के पास कीमतों में कमी लाने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत

करने का अधिकार भी है।

### 9. अप्रत्याशित घटना:

यदि किसी भी समय, अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा या तो पक्ष द्वारा, पूरे या आंशिक रूप से प्रदर्शन, युद्ध के कारण, या शत्रुता, सार्वजनिक शत्रु, नागरिक इच्छा के कार्यों को रोका या देरी किया जाता है, तोड़फोड़, स्टेट ऑफ स्टेट या सांविधिक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों, विस्फोट महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), एक्ट ऑफ गॉड जैसे आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (बाद में ईवेंट के रूप में संदर्भित), ऐसे किसी भी ईवेंट के होने की सूचना प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, जिसके होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर, इस तरह के गैर-प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में, बशर्ते कि अनुबंध जल्द से जल्द शुरू हो जाए, इस तरह के आयोजन के कारण न तो पार्टी इस अनुबंध को समाप्त करने की हकदार होगी और न ही पार्टी दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए ऐसा कोई दावा कर सकती है। सेवा को शुरू करने या ना करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष, एपीडा का होगा। इस अनुबंध के अंतर्गत ऐसी किसी भी घटना के कारण 30 दिन की अवधि से अधिक होने पर ईवेंट को रोका जा सकता है या पार्टी के अनुबंध को समाप्त किया सकता है।

### 10. मध्यस्थता:

इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। किसी भी विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष सुलह के लिए सभी प्रयास करेंगे। किसी भी प्रश्न के संबंध में, विवाद या उस संबंध में समझौते के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले अंतर (मामलों के अतिरिक्त, इस समझौते के अंतर्गत विशेष रूप से प्रदान किया गया निर्णय) अनसुलझा रहता है, उसी को एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा जिसे अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किया जाना है और उनके द्वारा दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्णित कोई अन्य स्थान मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान हो सकता है। पूर्वोक्त रूप में किसी भी और प्रत्येक संदर्भ के अनुसार, कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेकाधीन होगा।

### 11 भुगतान की शर्तें:

सफल एजेंसी को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा:

- वस्तुओं पर किए गए खर्च के प्रमाण की प्रस्तुति पर या समान राशि की बैंक गारंटी के पर 50% तक की लागत का अग्रिम भुगतान।
- इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु इवेंट के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।
- एजेंसी को तैयारी और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करना होगा।

## 12 बोलियों की प्रस्तुति

एजेंसी द्वारा निम्नलिखित तरीके से मुहरबंद लिफाफे में सहायक दस्तावेजों के साथ बोलियाँ प्रस्तुत की जाएं:

**लिफाफा I: ई.एम.डी-** नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 2,00,000/- रुपए (केवल दो लाख रुपए) के डी.डी के रूप में बयाना राशि।

**लिफाफा II:** इसमें सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरा गया संलग्नक-I (तकनीकी बोली) हो। यह लिफाफा मोहरबंद हो और इस पर “संयुक्त अरब अमीरात स्थित दुबई में 16 से 20 फरवरी, 2020 को आयोजित होने वाले गल्फूड में एपीडा पविल्यन हेतु तकनीकी बोली” उल्लिखित हो।

**लिफाफा III:** इसमें संलग्नक-II हो जिसे लेआउट योजना और निविदा दस्तावेज के नियम एवं शर्तों के आधार पर एपीडा की पूर्ण परियोजना हेतु सभी करों को शामिल कर भारतीय रूपयों में बोली के मूल्य के लिए विधिवत रूप से भरा गया हो। यह लिफाफा मोहरबंद हो और इस पर “संयुक्त अरब अमीरात स्थित दुबई में 16 से 20 फरवरी, 2020 को आयोजित होने वाले गल्फूड में एपीडा पविल्यन हेतु तकनीकी बोली” उल्लिखित हो।

**लिफाफा IV:** लिफाफा IV में लिफाफे- I, II, III रखे जाएं और लिफाफा IV को भी मुहरबंद किया जाए। लिफाफे- I, II, III और IV पर स्पष्ट रूप से एजेंसी का नाम, पूरा पता, टेलीफोन नं., ई-मेल लिखा जाए। प्रमुख लिफाफे (लिफाफा IV) पर इस पर “संयुक्त अरब अमीरात स्थित दुबई में 16 से 20 फरवरी, 2020 को आयोजित होने वाले गल्फूड में एपीडा पविल्यन हेतु तकनीकी बोली” उल्लिखित हो और उसे निम्नलिखित पते पर निदेशक (व्यापार मेले) को प्रस्तुत किया जाए।

### 13 प्रदर्शन आश्वासन

यदि एजेंसी का प्रदर्शन कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी प्रकार की कमी रह जाती है/ कार्य के क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

**बोली को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर, 2019 (शाम 4:00 बजे) है। पूर्ण आवेदन को इस पते पर भेजा जाए:**

निदेशक

(व्यापार मेले)

एपीडा

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3, सिरी सांस्थानिक क्षेत्र,  
एशियाई गांव के सामने, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

टेलीफोन: 011-26526196





# **GULFOOD 2020**

**The 25th Gulf Food Exhibition**

**Dubai World Trade Centre**

**February 16 - 20**

**Sheikh Saeed Halls**